न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम(आरटीएस)

मि.न.16 / 17 दिनांक 25.9.17

सरकार बनाम देबू सिंह वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का संरूण्ड ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली के ख0 न0601 रकबा 0.17 किस्म जमीन ,गै0मु0 चाह मेंसे 0.01पर देबू सिंह,बद्री सिंह ,प्रहलाद सिंह पुत्रान चन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी संरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने रूडी पत्थ्र डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है ।

अत:, देबू सिंह,बद्री सिंह ,प्रहलाद सिंह पुत्रान चन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी संरूण्ड तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम संरूण्ड तहसील कोटपूतली के ख0 न0 601 रकब0. 17है0,मेंसे 0.01है0किस्म जमीन गै0मु0चाह पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात से रूडी व पत्थरों को हटवाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.40का पचास गुणा20 रू0 अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक25.9.17, को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2017 ... 08 ...... के रा० ल०
पृष्ठ संख्या ...35.... पर ...20.....
प्रविष्टि कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)